रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)

क्रमांक / स्था. / 2020 / 457 जबलपुर, दिनांक 23/07/20

कार्यालयीन आदेश

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला जबलपुर द्वारा जारी संशोधित आदेश क्रमांक / 2252 / एस.डब्ल्यू. / 2020, दिनांक 21.07.2020 के परिपालन मे एवं शहर में फैल रहे कोरोना संक्रमण के बचाव की दृष्टि से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विभागो मे अधिकारीगण / कर्मचारीगण निम्नांकित दिशानिर्देशो के तहत कार्य सम्पादित करेगे–

1. समस्त अधिकारियो की उपस्थिति शत–प्रतिशत अनिवार्य रहेगी।
2. विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासनिक विभाग केवल 50 प्रतिशत (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी क्षमता के साथ कार्यालय मे उपस्थित रहेंगे।
3. शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी मुख्यालय मे ही उपस्थित रहेंगे ताकि उनके विभाग प्रमुख दूरभाष के माध्यम से सपर्क कर आवश्यकता पड़ने पर उन्हे कार्यालय में उपस्थिति होने के लिये आदेशित कर सकें।
4. कार्यालय का समय कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 10:30 बजे से सांय 4:00 बजे तक रहेगा।
5. प्रत्येक विभाग में उपस्थित अधिकारियो / कर्मचारियों को सोशल डिस्टेसिंग एवं कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु जिला मजिस्ट्रेट एवं म.प्र. शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
6. विभाग प्रमुख यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके विभाग मे कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार,

प्रभारी कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,जबलपुर

पृ.क्र. / स्था. / 2020 / 457(अ) जबलपुर, दिनांक 23/07/20

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. जिला मजिस्ट्रेट, जिला जबलपुर।
2. अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / विभाग प्रमुख / विभागीय अधिकारी, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
4. समस्त अनुभाग अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने विभागीय कर्मचारियो को उक्त आदेश से अवगत करावे तथा इस बात का भी ध्यान रखें कि विभाग में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से अधिक न हो।
5. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी., रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
6. सहायक सचालक, स्थानीय निधि सपरीक्षा, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र की ओर इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालयीन आदेश को तत्काल वेबसाईट पर प्रदर्शित करे।
8. मीडिया प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त कार्यालयीन आदेश को स्थानीय समाचार पत्रो मे प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।
9. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

23/07/2020

सहायक कुलसचिव (स्थापना)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,जबलपुर